सहमत है तथा वादग्रस्त खेताय का माफिक पीडी अंतिम बंटवाड़ा चाहते हैं अतः हसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार हम वादीगण का वाद स्वीकार कर निम्न कार अंतिम डिग्री किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

— : : आदेश : : —

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88, 53 जस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर माफिक तहसीलदार जायल से प्त पीडी प्रस्ताव मौका रिपोर्ट दिनांक 01.12.2021 के अनुसार निम्न प्रकार अंतिम डिक्री ज्या जाता है। पीडी प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा।

1. वादी संख्या 1 नन्दसिंह के हक बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी में मौजा गुजरियावास का खेत खसरा नंबर 899 रकबा 2.4281 हैक्टेयर में से 0.6070 हैक्टेयर उतरी पश्चिमी भाग माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
2. वादी संख्या 2 शेरसिंह के हक बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी में मौजा गुजरियावास का खेत खसरा नंबर 899 रकबा 2.4281 हैक्टेयर में से 0.6071 हैक्टेयर दक्षिणी पश्चिमी भाग माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
3. वादी संख्या 3 समन्दरसिंह के हक बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी में मौजा गुजरियावास का खेत खसरा नंबर 955 रकबा 1.3678 हैक्टेयर में से 0.4560 हैक्टेयर पश्चिमी भाग माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
4. प्रतिवादी संख्या 1 श्रवणसिंह के हक बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी में मौजा गुजरियावास का खेत खसरा नंबर 955 रकबा 1.3678 हैक्टेयर में से 0.9118 हैक्टेयर पूर्वी भाग(2/3) माफिक नजरीनक्शानुसार एवं खसरा नंबर 899 रकबा 2.4281 हैक्टेयर में से 1/2 भाग 1.2140 हैक्टेयर पूर्वी भाग माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है।

निर्णय आज दिनांक 01/12/2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner